न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 96/22 **निर्णय दिनांकः**
(जीसीएमएस संख्या 2022/396)

1. शान्ति देवी पत्नि चैन सिंह जाति जाट (सुण्डा) निवासी सदर थाने के पीछे सीकर हाल रौही जैसलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. चैन सिंह पुत्र बिड़दाराम जाति जाट (सुण्डा) निवासी सदर थाने के पीछे सीकर हाल रौही जैसलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दिनेश कुमार पुत्र श्रीकिशन जाति बिहानी (महेश्वरी) निवासी बिग्गा बास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सीमा पुत्री श्रीकिशन जाति बिहानी (महेश्वरी) निवासी बिग्गा बास तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21–12–2022
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 21–12–2022 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए आरटीए के तहत प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 180 रकबा 2.7800 हेक्टर भूमि पर आवागमन हेतु अपीलांट् के खेत खसरा नम्बर 177 से फंट कर खसरा नम्बर 179 में से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 180 में प्रवेश करते है। उक्त रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा बार–बार बन्द कर दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी जोत में आवागमन हेतु परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर धारा 251ए के प्रावधानों के विपरीत जाकर खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.04 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर 5.8300 हेक्टर भूमि में गैर मुमकिन कटाणी रास्ते जोकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व मौके पर बन्द है को खुलवाने के आदेश प्रदान करने के साथ–साथ खेत खसरा नम्बर 179 में से पूर्वी दक्षिणी सीमा में 5 मीटर चौड़ाई व 363 मीटर लम्बा नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या 251 ए की मंशा के विपरीत की गई व्याख्या है क्योंकि बन्द रास्ते को खुलवाने के प्रावधान धारा 251 में निहित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि धारा 251ए के तहत नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब मांगकर्ता के पास अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं हो। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में मौका फर्द दिनांक 15–02–2022 के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादी का खसरा नम्बर 180 की भूमि काफी अर्सा तक चिपता खसरा नम्बर 226 के काश्तकारों द्वारा काश्त किा जाना बताया जिनका आवागमन ग्राम जैसलसर से होना ताईद होता है। इस प्रकार साबित है कि प्रार्थी को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपनी जोत में खेत खसरा नम्बर 226 में से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व से रास्ता उपलब्ध होते हुए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण में चूंकि रेस्पोडेन्ट्स को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश जैर अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 251 जिसमें किसी काश्तकार को आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित है, की मंशा के विपरीत होने से आदेश जैर अपील खारिज योग्य है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट्।को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होने की दशा में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट्। के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट् को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स को उनकी जोत वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 2.7800 हेक्टर भूमि पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। अतः खेत खसरा नम्बर 177 से फंटकर खेत खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के पास से रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि उन्हें अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो सके। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट् को तलब किया गया। अप्रार्थी/अपीलांट् जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत मौके की वास्तविक स्थिति के बाबत् रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को लिखे जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट तैयार करवाते हुए मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पर प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट धारा 69 आरटीए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई, तथा रिपोर्ट में भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित पाया गया तथा साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को रास्ते का आत्यांतिक आवश्यकता व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में धारा 251 ए के तहत नया रास्ता मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा धारा 251ए आरटीए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। स्वीकार योग्य कथन नहीं होने से विद्वान

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत मामलें पर चस्पा नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके रोही जैसलसर के खेत खसरा नम्बर 179 की पूर्वी सीमा के पास–पास से होता हुआ 363 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 1815 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251 ए के प्रावधान की पालना नहीं की गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों व मौके व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा उठाई गई आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा धारा 251 ए के नियम 69 की पालना नहीं करते हुए आराजी जैर के संबंध में रिपोर्ट संबंधित पटवारी द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जबकि धारा 251ए के तहत नियम 69 की पालना किया जाना अपरिहार्य है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं व उपलब्ध मौका

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत दिनांक 13—03—2020 को प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट् न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब प्रस्तुत किये जाने व मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मौके की स्थिति के अनुसार आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों की पालना में आराजी जैर की **मौका रिपोर्ट दिनांक 15—02—2022 को नायब तहसीलदार, भू—अभिलेख निरीक्षक व संबंधित पटवारी द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है, तथा उपस्थिति स्वरूप सभी के हस्ताक्षर अंकित है।** जिससे साबित होता है कि नियम 69 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रकरण में जहॉ तक मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थित में तैयार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्ष जरिये अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आते रहे है तथा उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की तमाम जानकारी उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट् का उपस्थित नहीं आना यह साबित करता है कि अपीलांट् स्वयं जानबूझकर तत्समय उपस्थित नहीं आये व अब अपील के स्तर पर इस तथ्य का फायदा उठाने चाहते है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जाना महत्वपूर्ण है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की वास्तविक स्थिति की बिन्दुवार रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार से प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 में अभिलिखित किया गया है कि खसरा नम्बर 176 के पूर्वी सीमा के सामनान्तर प्रचलित रास्ता वर्तमान में चलाये मान है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 5 में अभिलिखित किया गया है कि इसी प्रचलित रास्ते से खसरा नम्बर 176 के पूर्वी दक्षिणी कोणे से खसरा नम्बर 176 व 179 के दक्षिणी सीमा के समानान्तर वादी के खसरा नम्बर 180 के लिये रास्ता नियमानुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है, इसी के साथ बिन्दु संख्या 6 में अभिलिखित किया गया है कि आरटीए 1955 की धारा 251ए के अर्न्तगत रास्ता की आवश्यकता है ना कि सुविधा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट्स को उसकी जोत खेत खसरा नम्बर 180 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, अपीलांट्स की खातेदारी भूमि तहसील श्रीडूँगरगढ़ के ग्राम जैसलसर के खेत खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के पास—पास से होता हुआ 363 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 1815 वर्गमीटर रास्ता किया गया है। जो धारा 251ए के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 21—12—2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/2/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर